

नेचर एसोसिएट्स को-ओप्रटिव एग्रीकल्चर सोसायटी

18-अशोका पार्क एक्सटेंशन ईस्ट पंजाबी बाग

न्यू दिल्ली -110026

प्रदीप कुमार अग्रवाल

मोबाइल:- 9711209359

नमस्कार,

ये एक वैल्यू लिविंग विधि नेचर प्रोजेक्ट है,(“**खुशहाली के साथ जीना प्रकृति के साथ**”)

इस योजना को आपके साथ साझा करने की मेरी इच्छा है ,

मेरी इच्छा है आप अपने परिवार के साथ इस योजना को शेयर करे, और यदि उचित लगे तो इसके साथ जुड़े ,

- 1 यह एक को-ओप्रटिव सोसायटी होगी जिसका गठन किया जायेगा और इसको रजिस्टर करवाया जायेगा ,जो पुरे देश के लिए वैध होगी , आशय ये है की पुरे देश में यह को-ओप्रटिव सोसायटी अपनी योजना को कार्य रूप दे पायेगी
- 2 इस को-ओप्रटिव सोसायटी में प्रोम्टर मेम्बर्स अभी कम से कम 50 बनाये जाने हैं जिनकी कानूनी तौर पर जरूरत है , एक को-ओप्रटिव सोसायटी के गठन के लिए जायदा की कोई सीमा नहीं है मेरी योजना एक स्टेट में 500 मेम्बर्स बनाने की है एक परिवार में से केवल एक ही मेम्बर हो सकता है जिसको वोटिंग का अधिकार होता है , उस मेम्बर के साथ जुड़े हुए दुसरे मेम्बर हो सकते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है
- 3 ये को-ओप्रटिव सोसायटी स्टेट सरकार को जमीन देने के लिए आवेदन कर सकती है , सिर्फ आवेदन कर सकती है स्टेट सरकार जमीन दे देगी इसकी कोई निश्चितता या कानूनी बाध्यता नहीं है ,
- 4 ये को-ओप्रटिव सोसायटी अपने बल पर भी खेती की जमीन देख और उसको खरीद भी सकती है , इस प्रोजेक्ट के लिए जो कम से कम 50 एकड़ की आवश्यकता है , इससे कम में इस प्रोजेक्ट की मूल भावना पूरी नहीं होती है ,इस प्रोजेक्ट की मूल भावना है , “**खुशहाली के साथ जीना प्रकृति के साथ**” खुशहाली दबाव में नहीं हो सकती है , इसका अर्थ है की जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए है उन पर अपने जीवन यापन के अर्थ में जो भी खर्च है वह सारा इस प्रोजेक्ट से ही आये , जैसे रख रखाब का खर्च , किचन का खर्च ,बिजली ,पानी,घुमने , हस्पताल ये सभी खर्च इस प्रोजेक्ट से ही पुरे हो, तभी वैल्यू

- लिविंग की कल्पना की जा सकती है , इस कल्पना को साकार करने के अर्थ में ही इस को-ओप्रटिव सोसायटी के गठन की योजना है
- 5 इस मूल भावना के साथ ही सारे देश में अलग अलग प्रोजेक्ट नामों से जैसे प्रोजेक्ट गंगा , या जिस किसी भी एरिया में हो , या फिर प्रोजेक्ट नम्बर 10 या जो भी को-ओप्रटिव सोसायटी तय करे , सारे देश में एक सुरुआत करने की योजना है , इस योजना की रूप रेखा इस प्रकार रहनी है
- 6 ये को-ओप्रटिव सोसायटी प्रति एकड़ 2 मेम्बर्स बनाये उस नाम के प्रोजेक्ट के लिए , जो की प्रोजेक्ट मेम्बर्स कहलाये जायेंगे ,जैसे प्रोजेक्ट गंगा 50 एकड़ का है तो उसके लिए 100 मेम्बर बनाये , मेम्बर्स के लिए खुबसूरत छोटा विला बना कर दे , हर मेम्बर के लिए अलग , इस प्रोजेक्ट में एक हॉल खेलने के लिए इनडोर सुविधा हो , खुद का फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो , सोलर सिस्टम हो , कहने का मतलब है खुद में पूरा हो कोई वस्तु बहार से न लेनी पड़े ये सब कुछ कुल भूमि के 15 % में ही होना है , बाकि बची भूमि खेती के लिए ही है
- 7 अब खेती में क्या करना है , एक परिवार के लिए जीवन यापन के लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता है वह सभी इस खेती से ही पूरा होगी
- 8 जैसे खाने के लिए (अनाज, दाले, मसाले , तेल , गुड ,फल) जीवन यापन की सभी वस्तुएं या तो इसी जगह से या फिर विनिमय के द्वारा पूरी होगी, विनिमय का अर्थ है अगर हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है तो उसको बेच कर दूसरी वस्तु ले लेना
- 9 कहने का अर्थ ये है की जो भी इस प्रोजेक्ट का मेम्बर होगा उसकी रोज की वस्तु की आवश्यकता की पृति ये प्रोजेक्ट ही कर दे देगा , इस तरह ये प्रोजेक्ट उसके जीवन को खुशहाल बनाएगा
- 10 ये सारा विचार सिर्फ ख्याल नहीं है , सारी कैलकुलेशन कर के बनाया है ,50 एकड़ में 15 % निकाल कर बचते है 42 एकड़ , कुल मेम्बर्स है 100 ,ये 100 परिवार है 100 परिवारों के लिए 42 एकड़ आराम से उन सभी परिवारों के लिए काफी है इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है , अभी भी पूरा बड़ा परिवार पारंपरिक खेती से अपना अच्छी तरह भरण पोषण करता ही है , यह प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर टूरिस्म को भी बढ़ावा देगा अगर कोई परिवार या संस्था या गुप बहार से जो आया है , वह भी आमदनी का एक जरिया हो सकता है

- 12 जो 50 एकड़ जमीन खरीदनी है वह जो इस सोसायटी के मेम्बर्स हैं उनके सहयोग से ही खरीदी जाएगी जो कुछ भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा वह सारा सोसायटी के मेम्बर्स के द्वारा ही किया जायेगा
- 13 ये सोसायटी एक बड़े और फैले हुए विचार पर काम कर रही है कैसे :-
- A सोसायटी एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है बल्कि एक ही petrun पर कई प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पर चलाने की योजना है
 - B सोसायटी के हर प्रोजेक्ट के ओनर मेम्बर्स अलग हैं
 - C प्रोजेक्ट के ओनर मेम्बर्स सोसायटी के मेम्बर्स भी हैं
 - D पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ओनर मेम्बर्स ही उस पुरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके पास ही उसका मालिकाना हक्क है
 - E सोसायटी ही प्रोजेक्ट की देख भाल करने के लिए जिम्मेदार होगी
 - F हर मेम्बर से आशा की जाती है की वह खुद के द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुरूप कार्य और वयवहार करेंगे
 - G सोसायटी लाभ और हानी के अर्थ में कार्य नहीं कर रही है फिर भी सोसायटी में लाभ और हानी में सभी मेम्बर अपने अपने शेरेस के अनुरूप हिस्सेदार होंगे

क्योंकि ये एक को-ओप्रेटिव सोसायटी हैं सभी मेम्बर्स ही इसके बराबर के हिस्सेदार हैं इसलिए जो भी इसको आगे बढ़ाने के अर्थ में रूप रेखा रहेगी वह सभी मेम्बर्स मिल कर बनायेंगे , इसके लिए समय समय पर मेम्बर्स मीटिंग होती रहेंगी जिसका संचालन एक निश्चित वयवस्था के अंतर्गत ही होना है

- 1 हर मीटिंग का एक सभापति पहले ही तय होगा जो की एक मेम्बर ही है
- 2 हर मीटिंग का अर्जेंडा पहले से ही तय होगा
- 3 जो भी मेम्बर अपने सुझाव और शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं उनको पहले से ही नोटिस देना होगा
- 4 मीटिंग के लिए अर्जेंडा और सभापति का चयन मीटिंग से 7 दिन पहले किया जाना अनिवार्य है

इन रूप रेखाओं में ये सभी तय करेंगे :-

- 1 सबसे पहले कमिटियों का निर्धारण किया जायेगा ये कमिटिया ही आगे की विभिन्न गतिविधियों की रूप रेखा तयार करेंगी
- 2 मेंबर्स की लिए मकान कैसे बनेगे

- 3 कितनी जमीन मकान बनाने के लिए उपयुक्त है एक खेती की जमीन पर 10 से 15 प्रतिशत जमीन पर ही मकान बनाने की अनुमति मिल सकती है
- 4 बाकि बची जमीन में खेती करने की योजना भी संस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित कमिटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी है
- 5 यह प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ट्रॉरिस्म को बढ़ावा देगा इसके लिए भी संस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित कमिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ योजना और दिशा निर्देश बनाने का काम करेगी
- 6 अगर कोई अपना हिस्सा बेचना या ट्रान्सफर करना चाहता है इसके लिए भी संस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित कमिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ योजना और दिशा निर्देश बनाने का काम करेगी
- 7 खेती की भूमि खरीदने के लिए सर्कार से मदद कैसे ली जा सकती है इसके लिए भी संस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित कमिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ योजना और दिशा निर्देश बनाने का काम करेगी
- 8 सर्कार के द्वारा जो भी योजना है वह सभी का लाभ सभी मेंबर्स को समय समय पर मिलेगा , क्योंकि सभी मेंबर्स किसान के रूप में रजिस्टर होंगे इसलिए सभी को एक किसान के रूप में जो भी सरकारी मदद होती है वह मिलेगी, इसके लिए भी संस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित कमिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ योजना और दिशा निर्देश बनाने का काम करेगी

ये कुछ जानकारिया थीं जो मैंने आपके साथ साझा की , आप इस योजना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं , इस योजना के साथ जुड़ने से आपको क्या फायदा हो सकता है और अगर कोई नुकसान भी है तो वह क्या हो सकता है

कैसे जुड़े

अभी आपको केवल अपनी सहमती देनी है मेम्बर बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी ये पहली मीटिंग में ही तय होगी

सहमती के रूप में जो फार्म दिया हुआ है आपको इसको भरना है और दिए हुए पते पर भेज देना है , उसके बाद सोसायटी की पहली मीटिंग की रूप रेखा तैयार की जाएगी , आपको पहली मीटिंग की तारीख और समय की जानकारी फोन के माध्यम से दी जाएगी , इस मीटिंग में हम कोशिश करके रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसायटी को भी बुला सकते हैं

क्यों जुड़े फायदा क्या है

ये एक को-ओप्रटिव सोसायटी है जब एक बड़ा ग्रुप साथ मिलकर कोई निर्णय लेता है तो उसको पूरा होने की सम्भावनाये ज्यादा है सभी मेम्बर्स इसके नेचुरल मालिक हैं सोसायटी की साख अपने आप में ही बड़ती जाती है उसका फायदा मेम्बर्स को मिलता ही है , समय समय पर सरकारों के तरफ से भी योजनाये आती रहती है जिसका फायदा एक सोसायटी को मिलता ही रहता है

इस सोसायटी के पास एक दूरदर्शिता का मिशन है (**“खुशहाली के साथ जीना प्रकृति के साथ”**) इसके लिये जो भी मदद सरकारों से आ सकती है उसे लिए सभी मिल कर काम कर सकते हैं , इस मिशन से जुड़ना ही सबसे बड़ा फायदा है

इस योजना को कार्य रूप देने के लिए पूँजी

सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी के मन में आता है की इस योजना को कार्य रूप देने के अर्थ में जो पूँजी लगेगी वह आएगी कहाँ से ?

इसके लिए मेरे पास निम्न समाधान हैं

- 1 मेंबर्स में से ही निवेश आ सकता है
- 2 निजी फिनेंसिएर या प्रमोटर्स भी इसमें दिलचस्पी ले सकते हैं
- 3 सरकारी बैंक्स तो ही ही

मेरा मानना है की इस योजना को कार्य रूप देने के अर्थ में सबसे बड़ी पूँजी इस सोसायटी से जुड़े हुए मेम्बर्स ही हैं जब एक संगठित प्रयास प्रकृति के साथ जुड़ने के अर्थ में किया जायेगा तो सभी साथ आ ही जायेंगे , तब पूँजी कोई मायने नहीं रखती

निष्कर्ष

इस को-ओप्रटिव सोसायटी को बनाने के पीछे की मूल भावना है की समाज को प्रकृति के साथ जोड़ा जाये आज समाज में जो मिलावटी खाने की वस्तु उपलब्ध है और जो हम सभी खाने के लिए मजबूर है, उससे निवारण के लिए ये एक सार्थक पहल होगी इसके साथ साथ प्रकृति के साथ रहने के लिए उचित वातावरण भी मिल रहा है

धन्यवाद

नोट :- इसके साथ एक मेम्बर फॉर्म भी है उचित लगे तो भर कर संस्था में जमा करा दे पहले आप सही तरह से समझ ले अपने परिवार के साथ विचार करके सही निर्णय ले

